की भारतीय शाखा को दिया गया है, इससे पहले इसी काम के लिये निविदायें जारी की जा चुकी थीं जिन्हें 20 मार्च को खुलना था। उन सारी निविदाओं को खोला नहीं गया। उनको स्थगित करके इस अमेरिकन कम्पनी को बिना किसी टेंडर जारी किये यह काम दे दिया गया। इसका क्यों आदेश दिया गया ? जब हम बात करते हैं कि हमारी राष्ट्रीय सम्प्रभुता खतरे में डाली जा रही है तो दुनिया के किसी भी देश में और स्वयं अमेरिका भी संचार के क्षेत्र में विदेशी पूंजी की 20 प्रतिशत को अनुमति नहीं दे रहा है। तमाम यूरोपीय देशों में, तमाम यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में दूरसंचार के क्षेत्र में विदेशी पूंजी को अनुमति नहीं दी जा रही है और हमारे यहां 39 प्रतिशत की अनुमति दी जा रही है। जबकि हमारे यहां इतना बड़ा दूरसंचार विभाग है। उसको तबाह करके पूरे के पूरे रूप में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बेच देना चाहते हैं। इसका क्या आधार है ? (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. . . (*Interruptions*) . .

श्री सुख राम : जो माननीया सदस्य ने यहां छुपाने का इल्जाम लगाया है, जो शंका जाहिर की है वह बेबुनियाद है. . . (व्यवधान)

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उसका बुनियाद आधार है। (व्यवधान)

श्री सुख राम : जब आप इल्जाम लगाते हैं तो सुनिये भी। आप में हिम्मत नहीं है सच्चाई को सुनने की। आप में हिम्मत नहीं है सच्चाई को फेस करने की। (व्यवधान)

श्रीमती सरला महेश्वरी : 75 लाख में एक करोड़ हो गया (व्यवधान)

AN HON. MEMBER: How many bidders are there?. . . (*Interruptions*) . . .

MR. CHAIRMAN: Will you please sit down? I will not allow you to get up every minute. How can you do that?

श्री सुख राम : हमारा जो टेलीग्राफ एक्ट है, जहां तक प्रोटेक्शन की बात है, सेक्योरिटी की बात है, देश की सुरक्षा की बात है वह महत्व हमने उसमें दे रखा है, चाहे टेलीग्राफ की पालिसी हो, चाहे गाइडलाइंस हों उसमें इसको महत्व दे रखा है। इसमें दो ही आपरेटर्स होंगे। एक तो डीग्रोटी होगा और दूसरा प्राइवेट आपरेटर होगा। (व्यवधान) आप में सच्चाई को सुनने की क्षमता होनी चाहिये। जैसा मैंने कहा इसमें दो ही होंगे एक तो यूएस बेस्ड होगा और दूसरा प्राइवेट आपरेटर काम करेगा। कम्पीटिशन में ये दोनों आपरेटर काम करेंगे। (व्यवधान)

AN HON. MEMBER: Ask him to sit down, Sir. . . (*Interruptions*) .

MR. CHAIRMAN: Shri Satish Agarwal.

SHRI SATISH AGARWAL: Sir, only one clarificatton. Is it a fact that—I am seeking a clarification—the new Telecom policy which was announced by the Government on the woor of the House has been modified? If so, will you kindly circulate the modified? If so, will you kindly circuate the modified Teecom Policy for the benefit of the Member?

SHRI SUKH RAM: It has not been modified.

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हुआ घाटा

*4. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लगातार घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक उक्त बैंकों को कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण में सुधार हेतु कोई विशेष पैकेज दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह पैकेज कब से प्रभावी होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लगातार घाटा उठा रहे हैं। उक्त बैंकों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक उठाये गये घाटों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि लाभ और हानि की स्थिति केवल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार आकलित की जाती है। तथापि, वर्ष 1993–94 के दौरान, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से केवल 25 बैंकों ने लाभ अर्जित किया और शेष 171 बैंकों ने घाटा उठाया। 25 बैंकों ने वर्ष 1993–94 के दौरान 22.54 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जबकि बाकी 171 बैंकों ने 381.54 करोड़ रुपये का घाटा उठाया। 31 मार्च, 1994 की स्थिति अनुसार सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल संचित घाटा 1302.53 करोड़ रुपये था।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने और उसे व्यवस्थित करने के लिये भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(i) सेवाओं की रेंज और उनका क्षेत्र व्यापक बनाने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 1–1–1994 से गैर-लक्ष्य गत समूहों को उनके नये ऋणों का 60 प्रतिशत तक वित्तपोषण करने की अनुमति दी गई है; चैकों/मांग/ड्राफ्टों की खरीद/भुनाई के लिये उन्हें और अधिक विवेक सम्मत शक्तियां प्रदान की गई हैं। उन्हें अपने ग्राहकों की ओर से गारन्टियां जारी करने की अनुमति दी गई है और सेवा की रेंज में वृद्धि करने के लिये उन्हें लोकर स्थापित करके, ड्राफ्ट एमटी जारी करने की अनुमति दी गई है।

(ii) 1992–93 के दौरान 2 करोड़ रुपये से कम संवितरण करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र की बाध्यता से मुक्त किया गया है और अपने क्षेत्राधिकार के पूरे क्षेत्र में वित्तपोषण करने की उन्हें अनुमति दी गई है। अपने सेवा क्षेत्र की बाध्यताओं के अध्यधीन बाकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने संपूर्ण कमान क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण देने की अनुमति दी गई है।

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हानि उठाने वाली अपनी शाखाओं को अपेक्षाकृत रूप से बेहतर स्थानों अर्थात बाजार के क्षेत्रों, गांव की मंडियों, ब्लाक और जिला मुख्यालय आदि जैसे वाणिज्यिक केन्द्रों में पुनः आबंटित करने और तदनुसार उचित रूप से कर्मचारियों को पुनः नियोजित करने की अनुमति दी गई है।

(iv) वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 1994 को अपने बजट भाषण के दौरान की गई घोषणा के अनुसरण में, पूरे देश में व्यापक पुनर्गठन हेतु 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का चयन किया गया है। चयनित बैंकों को सहायता के तरीके और उसके रूप का निर्धारण किया जा रहा है। इन 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्राप्त अनुभव बाद के वर्षों में अन्य ग्रामीण बैंकों के लिये मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

(v) सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कहा गया है कि वे अपने पास उपलब्ध संसाधनों से बैंक विशिष्ट विकास कार्य योजना तैयार करें, जिससे वे अपनी अर्थक्षमता के लिये सुव्यवस्थित दृष्टिकोण अपना सकें।

(vi) अब तक सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी शेयर पूंजी बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई और व्यापक पुनर्गठन के लिये चुने गये 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों

की जारी पूंजी बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की जा रही है ।

(vii) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी गैर-एसएलआर अधिशेष निधियों को भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) की सूचीबद्ध और अन्य योजनाओं, आईडीबीआई, आईसीआई सीआई, आईएफसीआई और सिडबी जैसी लाभ अर्जित करने वाली सावधि ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं में सावधि जमाराशियों राष्ट्रीयकृत बैंकों और लाभ अर्जित करने वाली सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के बांडों और ख्यातिप्राप्त विश्वसनीय कम्पनियों के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश करने के लाभप्रद अवसर उपलब्ध कराये हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रायोजक बैंकों द्वारा जारी किये जाने वाले जोखिम रहित सहभागिता प्रमाणपत्रों के जरिये अपनी आंशिक अधिशेष गैर-एसएलआर निधियों को अपने प्रायोजक बैंकों के ऋण पोर्ट-फोलियों में नियोजित करने की अनुमति प्रदान की है ।

Installation of TV Transmitter at Ghandyal, Uttar Pradesh

*5. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation regarding setting up of new TV transmitter at Ghandyal, District Pauri-Garhwal, Uttar Pradesh;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what are the reasons for delay in the matter and by when the said TV transmitter is likely to be set up?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) Yes, Sir.

(b) Requests have been received, from time to time, from various quarters for the establishment of a TV transmitter at Ghandyal.

(c) Doordarshan projects are sanctioned subject to suitability of location, availability of resources, requisite infrastructure, and inter-se priority. Government has recently approved the setting up of the Very Low Power TV Transmitter at Ghandyal. It may take approx. 2 years for the commissioning of the transmitter.

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का पुनरुद्धार

***6. श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत वस्त्र मिलों के पुनरुद्धार के लिये बनाई गई 2005 करोड़ रुपये की योजना को अभी अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना इस समय किस स्तर पर विचाराधीन है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त योजना के कार्यान्वयन पूर्ण होने तक वस्त्र मिलों के कर्मचारियों के मासिक वेतन आदि के लिये 15 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो 15 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि को कब तक जारी किये जाने तथा मिलों को दिये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) वस्त्र अनुसंधान संघों ने 2005.72 करोड़ रु० के निवेश से एन.टी.सी. की 79 मिलों के आधुनिकीकरण के लिये एक योजना तैयार की थी । आधुनिकीकरण योजना 36 गैर-अर्धक्षम मिलों को 18 अर्धक्षम मिलों में पुनः संरचित करने पर विचार किया गया है । श्रम मंत्रालय की एन टी सी विषयक त्रिपक्षीय समिति ने सिफारिश की है कि वस्त्र अनुसंधान संघों के प्रस्ताव